NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

COP-29, जलवायु वित्त और इसका ऑप्टिकल भ्रम

www.nextias.com

COP-29, जलवायु वित्त और इसका ऑप्टिकल भ्रम

सन्दर्भ

- बाकू में आयोजित 29वें सम्मेलन (COP-29) में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, परिणामों को संदेह और आलोचना का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से जलवायु वित्त के संबंध में।

पृष्ठभूमि

- **UNFCCC में जलवायु वित्त:** 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की स्थापना के पश्चात् से जलवायु वित्त अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों की आधारशिला रहा है।
  - UNFCCC का अनुच्छेद 4(7) इस बात पर बल देता है कि विकासशील देशों की प्रतिबद्धताएँ विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए वित्त और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती हैं।
- **पेरिस समझौता:** पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9(1) विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए वित्त एकत्रित के लिए बाध्य करता है।
- **IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट:** IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में वित्त, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के महत्त्वपूर्ण प्रवर्तक बताया गया है।
  - पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.1°C अधिक तापमान वृद्धि में मानवजनित उत्सर्जन की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

जलवायु वित्त में प्रमुख चुनौतियाँ

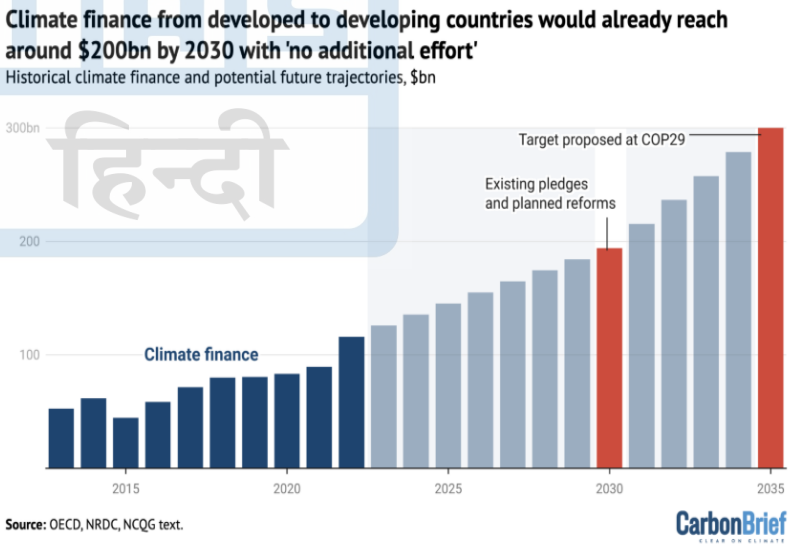

- **लक्ष्य से पीछे रहना:** विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलन प्रयासों में विकासशील देशों को सहायता देने के लिए 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर एकत्रित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - हालाँकि, यह लक्ष्य 2022 में ही पूरा हो पाया, और यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि यह राशि वास्तविक जरूरतों से कम है।
- **अवास्तविक प्रस्ताव:** COP29 का 2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन डॉलर का नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) प्रस्ताव, UNFCCC की वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा निर्धारित 455 बिलियन डॉलर-584 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष की अनुमानित आवश्यकता से बहुत कम है।
- **सुभेद्य समूहों के लिए अपर्याप्त आवंटन:** छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) ने 39 बिलियन डॉलर की माँग की; LDCs ने 220 बिलियन डॉलर की माँग की, लेकिन कोई विशिष्ट आवंटन सीमा निर्धारित नहीं की गई।

- **हानि और क्षति लागत:** ग्लोबल स्टॉकटेक (2023) ने अनुमान लगाया है कि हानि और क्षति लागत 2030 तक प्रति वर्ष 447 बिलियन डॉलर से 894 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी, जो वित्तीय प्रतिबद्धताओं में अंतर को प्रकट करता है।

Perspective	Category	Key Points
Developed Nations	**Arguments**	
	Historical Responsibility	Acknowledge their significant role in greenhouse gas emissions and accept responsibility to fund climate action.
	Financial Capacity	Highlight their stronger economies and ability to mobilize substantial resources for global climate initiatives.
Developing Nations	**Arguments**	
	Greater Vulnerability	Argue that they face the worst impacts of climate change and need financial support to adapt and build resilience.
	Equity and Justice	Stress that countries least responsible for emissions should not bear the largest burden of addressing climate change.
Counter Arguments	**Developed Nations**	
	Efficiency Concerns	Argue that corruption and inefficiencies in recipient countries may lead to mismanagement of climate funds.
	Shared Responsibility	Suggest that emerging economies, now major emitters, should also contribute to climate finance.

भारत का दृष्टिकोण और चिंताएँ

- **समानता और जिम्मेदारी:** भारतीय साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमता के सिद्धांत पर बल देते हैं।
  - 2030 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की वकालत की गई है, जिसमें कम से कम 600 बिलियन डॉलर का अनुदान और रियायती संसाधन शामिल होंगे।
- **NCQG से निराशा:** भारत ने परामर्श की कमी और अपर्याप्त महत्वाकांक्षा का उदाहरण देते हुए NCQG को प्रत्यक्ष रूप से खारिज कर दिया।
  - विकासशील देशों से संसाधन एकत्रित करने की अपेक्षा की आलोचना की गई, जिससे उनके NDCs के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **ऐतिहासिक उदाहरण:** मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बहुपक्षीय कोष की सफलता का उदाहरण दिया गया, जिसने सुसंगत जलवायु वित्त के लिए एक मॉडल के रूप में निम्न आय वाले देशों को सहायता प्रदान की।

अतिरिक्त जानकारी

- **राष्ट्रीय सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) और COP-29:** COP-29 को प्रायः 'वित्त COP' के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका उद्देश्य जलवायु वित्त पर NCQG की स्थापना करना है, जो पिछले $100 बिलियन वार्षिक लक्ष्य की जगह लेता है, इस पर सर्वप्रथम सहमति 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित COP15 शिखर सम्मेलन में हुई थी।

NCQG पर भारत की प्रवृति

- COP27 शिखर सम्मेलन में भारत ने जलवायु वित्त में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया तथा तर्क दिया कि विकासशील देशों के समक्ष चुनौतियों के पैमाने को देखते हुए 100 बिलियन

डॉलर का लक्ष्य अपर्याप्त है।
- भारत ने नए लक्ष्य को खरबों डॉलर में निर्धारित करने का आह्वान किया है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और उसके अनुकूल होने की वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित करता हो।

विकसित राष्ट्रों को क्या करना चाहिए?

- **वित्तीय प्रतिबद्धताओं में वृद्धि:** विकासशील देशों की NDCs की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप जलवायु वित्त के पैमाने और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाएँ।
- **सुलभता सुनिश्चित करना:** विकासशील देशों के लिए सुलभ, किफायती और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए एक सुसंगत जलवायु वित्त संरचना विकसित करना।
- **विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना:** विकासशील दक्षिण के साथ विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए वार्ता में पारदर्शिता और समावेशिता के सिद्धांतों को कायम रखना।
- **सुभेद्य राष्ट्रों को समर्थन:** SIDS, LDCs तथा अन्य अत्यधिक कमजोर देशों के लिए विशिष्ट आवंटन सीमा निर्धारित करना।

निष्कर्ष

- प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए, विकसित देशों को अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को बढ़ाना होगा तथा पर्याप्त, सुलभ और किफायती जलवायु वित्त उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना, पेरिस समझौते के लक्ष्य, विशेषकर वैश्विक तापमान को 1.5°C तक सीमित रखना, पहुँच से बाहर रहेंगे, तथा विकासशील दक्षिण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

Source: TH

■■■■

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. विकसित और विकासशील देशों के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए, जलवायु वित्त की प्रभावशीलता एवं न्यायसंगत वितरण के आसपास के प्रमुख तर्कों तथा प्रतिवादों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।